GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
School Education, Haryana
विद्यालय शिक्षा, हरियाणा
तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

Off.: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253
कार्यालयः शिक्षा सदन, सैक्टर 5 पंचकुला–134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्सः 91 (0172) 2560253
e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

सेवा में,

राज्य के सभी

1. जिला शिक्षा अधिकारी,
2. जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी,
3. जिला परियोजना संयोजक SSA/RMSA
4. खण्ड शिक्षा अधिकारी,
5. खण्ड मौलिक शिक्षा अधिकारी,
6. स्कूल मुखिया/प्रभारी।

यादी क्रमांकः– 1/3-2017 ACD (4)
दिनांकः– 18.04.2017

विषयः– "धूम्रपान निषेध" पर किशोर न्याय कानून की धारा 77 के अन्तर्गत प्रचार प्रसार एवं क्रियान्वयन बारे।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में विभाग के पत्र क्रमांक 1/3-2017 ACD (4) दिनांक 31.03.2017 की निरन्तरता में उल्लेख है कि राज्य के सभी विद्यालयों को तम्बाकू मुक्त बनाये जाने का कार्यक्रम है तथा अधिनियम COTPA (2003) के अन्तर्गत यह अनिवार्य भी है। एक अनुमान के अनुसार वर्तमान में भारत में लगभग 27.5 करोड़ लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। ग्लोबल एडल्ट टोबको के सर्वे के अनुसार भारत में तंबाकू की लत 17 साल की उम्र में लग जाती है और लगभग 20% बच्चे तंबाकू का उपयोग करते हैं। कैंसर से होने वाली मृत्यु में 40% हिस्सेदारी तंबाकू का उपभोग करने वाले व्यक्तियों की है। मौत के मुख्य 6 से 8 कारणों में तंबाकू सेवन सबसे प्रमुख है। वर्तमान में 14.6% विद्यार्थी तंबाकू सेवन में संलिप्त है तथा इसमें कक्षा 8 से 12 तक के विद्यार्थी शामिल है।

हरियाणा जैसे राज्य में हुक्का पीना प्रचलन में है, बातचीत, चर्चा, बैठक, पंचायत या सामाजिक बैठकों, विवाह एवं समारोह में हुक्के का प्रयोग आम बात है और शहरों में 'हुक्का बार' की संस्कृति तम्बाकू सेवन को नवयुवकों में और अधिक विख्यात बना रही है। हमारे प्रदेश में हालांकि धूम्रपान कानून लागू है। हरियाणा सरकार द्वारा भी तंबाकू की बिक्री आदि पर निम्नानुसार पाबन्दी लगाई गई है :–

1. गुटका, खैणी, जर्दा, पान मसाला
2. उत्पादन, वितरण तथा खरीद बेच पर पूर्ण पाबन्दी है।
3. किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में 1 दिसम्बर 2004 से तंबाकू बेचना अपराध है। अव्यस्क को तम्बाकू बेचना अपराध है।
4. 2007 में चण्डीगढ़ शहर को धूम्रपान मुक्त बनाया गया है।
5. वर्ष 2008 से पूरे भारत में सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान निषेध है।

"सार्वजनिक स्थल जैसे सिनेमाघर, सभागार, हस्पताल, जन परिवहन, बस, रेल, जहाज, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, रेस्टोरेन्ट, पुस्तकालय, अदालत, डाकघर, बैंक, शॉपिंग माल, बैंक्ट हाल, स्कूल, कालेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान"। फिल्मों में धूम्रपान के दौरान चेतावनी दिखाना आवश्यक है तथा हर तंबाकू उत्पाद पर चेतावनी को समुचित स्थान देना जैसे धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

इस सन्दर्भ में विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा तंबाकू उत्पाद निषेध के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया है ताकि स्कूल भवन तंबाकू मुक्त हों, बच्चे तथा विद्यालय के शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारी किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद का सेवन न करें, इसको अनिवार्य बनाया जाए, इस पर प्रतिबन्ध लगाया जाये। स्कूल के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद की बिक्री न हो यह सुनिश्चित किया जाना अति आवश्यक है। यह कार्य स्कूलों में बच्चों के मध्य वाद–विवाद एवं चर्चा, प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता के आयोजनों के माध्यम से संभव है। हमारे विद्यालयों में लड़के और लड़कियां दोनों अगर मिलकर प्रयास करें और लड़कियां अगर निर्णय लें कि किसी भी पारिवारिक सदस्य को तंबाकू सेवन करने के लिए रोकेगी, सभी लड़के अगर इस जन आन्दोलन में साथ चले सन्देश फलायें (Communication Agent) की भूमिका अदा करें तो प्रदेश को तंबाकू उत्पाद सेवन मुक्त बनाया जा सकता है और तम्बाकू से होने वाली बिमारियों पर हो रहे अनावश्यक खर्च को भी बचाया जा सकता है।

विभिन्न रिसर्च के आधार पर यह माना गया है कि कोई भी व्यक्ति तंबाकू के सेवन को 16 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद ही आरम्भ करता है और अगर कोई बालक 25 वर्ष तक इसके सेवन से बचा रहे तो ऐसा अनुमान है कि वह फिर तंबाकू के सम्पर्क में नहीं आता। अतः इसको शुरूआत की आयु में ही सेवन से रोकना अति आवश्यक है। विद्यालय इसके लिए सबसे संवेदनशील स्थान है। अतः विद्यालयों पर ही सबसे पहले इस लागू करना आवश्यक हो जाता है।

विद्यालय शिक्षा विभाग का "Joyful Activity Day" एक ऐसा साधन है जो इसके लिए उपयोग किया जा सकता है। अप्रैल के चौथे शनिवार बच्चे इसकी व्यापक योजना बनाकर कार्य करेंगें और "दस्तक" कार्यक्रम के अर्न्तगत अपना संदेश लेकर प्रत्येक द्वार पर "दस्तक" देकर तंबाकू सेवन न करने का अनुरोध करेंगें। Joyful Activity Day को तंबाकू निषेध, धूम्रपान निषेध विषय पर पेन्टिंग प्रतियोगिता, पोस्टर और स्लोगन लेखन प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, धूम्रपान निषेध का शपथ कार्यक्रम भी विद्यालय में करवाया जायेगा।

Joyful Activity के दिन विभिन्न योगाचार्यो, खिलाड़ियों, डाक्टर व सेहत विशेषज्ञों की टीम को भी विद्यालयों में बच्चों को सम्बोधित करने हेतु कार्यक्रम आयोजित करवाया जाये। इसके साथ–साथ स्कूलों के कक्षा 8 से 12 के विद्यार्थियों द्वारा कुछ सर्वे भी करवाये जायें।

गांव/वार्ड मं तम्बाकू सेवन की स्थिति

क्रमांक	तम्बाकू सेवन करने वाले नागरिकों का आयुवार विवरण				
	15 से 20 वर्ष	21 से 30 वर्ष	31 से 40 वर्ष	41 से 50 वर्ष	51 से अधिक
संख्या					

विभिन्न प्रकार के तम्बाकू उत्पाद का सेवन करने वालों की संख्या

क्रमांक	बीड़ी	सिगरेट	हुक्का	जर्दा	गुटखा	खैणी	अन्य
संख्या							

उपरोक्त सभी प्रकार की सर्वे आधारित गतिविधियां पूर्ण रूप से शैक्षणिक से जोड़ी जायें और बच्चे अपनी पूरी Project Report प्रस्तुत करें। इनमें बच्चों को अध्यापक Project Based Activity के रूप में देकर CCE के अन्तर्गत और Internal Assessment के अन्तर्गत अंक भी प्रदान कर सकते हैं। इन सब कार्यक्रमों से जहां बच्चों में नेतृत्व के गुणों का विकास होगा वहीं बदलाव की भावना, बुराईयों की रोकथाम की भावना का भी विकास होगा। जो भी विद्यार्थी यह सन्देश लेकर हर द्वार पर 'दस्तक' देगा वह सबसे पहले अपने आपको इस बुराई से दूर रखेगा तथा अपने परिवार को तम्बाकू निषेध बनाने का प्रयास करेगा। मण्डल स्तरीय कार्यशालाओं में आपको विभिन्न कैन्सर रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम द्वारा इस बारे अवगत करवाया गया था तथा माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय द्वारा भी इस सन्दर्भ में आपको सम्बोधित करते हुए "तम्बाकू मुक्त स्कूल परिवेश और तम्बाकू मुक्त परिवार" का सन्देश दिया था। राज्य के सभी DOC Scouts and Guide, NSS, NCC के प्रभारी को इस सन्दर्भ में विशेष रूप से निर्देशित किया जाता है कि अप्रैल मास में Joyful Activity Day में तंबाकू रहित स्कूल परिवेश और तंबाकू रहित परिवार का सन्देश "दस्तक" कार्यक्रम के अन्तर्गत आयोजित करवाया जाये। आपको पुनः आग्रह किया जाता है कि इस कार्यक्रम का आयोजन करके अपनी महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करें।

सहायक निदेशक शैक्षणिक
कृते: निदेशक माध्यमिक शिक्षा
हरियाणा पंचकूला

पृष्ठांकन क्रमांक समः दिनांक, पंचकूला 18.04.2017

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. राज्य के सभी उपायुक्त एवं अतिरिक्त उपायुक्त।
2. निजी सचिव, माननीय निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।
3. निजी सचिव, माननीय निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।
4. सहायक प्रबन्धक राज्य परियोजना निदेशक।
5. श्री सोमील रस्तोगी सम्बन्ध हैल्थ फाऊंडेशन गुरुग्राम।

सहायक निदेशक शैक्षणिक
कृते: निदेशक माध्यमिक शिक्षा
हरियाणा पंचकूला